प्रथम पुरस्कार

विश्व हिन्दी सचिवालय द्वारा प्रकाशित विश्व हिन्दी समाचार के दिसम्बर 2010 में विज्ञापित निबंध प्रतियोगिता के लिए विचारार्थ प्रस्तुत

विषयः हिन्दी कैसे बने संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा

संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता दिलाने का सवाल विगत 35–36 वर्षों से विश्व के हिन्दी प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना रहा है। नागपुर में 1975 में आयोजित प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन से लेकर वर्ष 2007 में न्यूयार्क में सम्पन्न आठवे विश्व हिन्दी सम्मेलन तक संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को आधिकारीक भाषा बनाने के लिए संकल्प पारित किये गए अथवा इस प्रस्ताव पर समर्थन व्यक्त किया गया।

10 जनवरी, 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में हिन्दी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करते हुए भारत की तत्कालीन "प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि हिन्दी विश्व की महान भाषाओं में एक है। यह करोंड़ों की मातृभाषा है और करोंड़ों लोग ऐसे है जो इसे दूसरी भाषा के रूप मे बोलते है । गंगा–यमुना के निकटवर्ती प्रदेशों से विकसित होकर इस भाषा का प्रयोग भारत के सूदूरवर्ती भागो तक प्रचलित है। इसका स्वर उन देशों में भी सुना जा सकता है जहां हमारे देश के लोग कई पीढियों पहले गए और विदेशी विश्वविद्यालयों में भी, जहाँ विद्वान लोग हिन्दी का अध्ययन और अध्यापन करते हैं।" इस अवसर पर मारीशस के प्रधानमंत्री डा0 शिवसागर रामगुलाम ने कहा कि मारीशस संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को उचित स्थान दिलाने में सदैव आगे रहेगा। हिन्दी की अन्तरराष्ट्रीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि "हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन हमारे लिए इस बात का अधिक महत्त्व है कि यह एक अन्तरराट्रीय भाषा है। मारीशस, सूरीनाम, गयाना, फीज़ी और अफ्रीका के कई देश इस बात का मान करते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा को अन्तरराट्रीय भाषा बनाने में उनका हाथ है। इसी सम्मेलन में मारीशस के प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री दयानन्द बसंत राय ने हिन्दी को संयुक्त राष्ट

की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका समर्थन तत्कालीन सोवियत संघ (अब रूस) के प्रोफेसर चैलिशोव सहित अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने किया था। इसके बाद मारीशस में आयोजित द्वितीय तथा चतुर्थ विश्व हिन्दी सम्मेलनों में तथा नई दिल्ली के तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, त्रिनिदाद में सम्पन्न पाँचवे हिन्दी सम्मेलन, लंदन में आयेजित छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन में भी विश्व के सभी प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया। वर्ष 2003 में सूरीनाम की राजधानी पारामारिवो में आयोजित सातवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि "यह सम्मेलन इस बात पर खेद प्रकट करता है कि विश्व में बोली जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा हिन्दी, जिसका प्रयोग लगभग 180 देशों में 80 करोड़ लोगों के लिए किया जाता है, अभी तक संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं बन सकी है। इस सम्मेलन का यह निश्चित मत है कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन जाने के उपरान्त विश्व की जनसख्या का बहुत बड़ा भाग अपनी भाषा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियो तथा क्रियाकलापो से अवगत होगा तथा हिन्दी का प्रयोग करने वाले देश भी वहां अपनी बात प्रभावी ढ़ंग से रख सकेंगे।"

2007 में न्यूयार्क में सम्मपन्न आठवे विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के सभागार में करके इस बात का संकेत दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने का शुभारम्भ हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री वान–के–मून भी उपस्थित हुए तथा उसी सभागार में संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विचार सत्र का आयोजन हुआ।

भारतीय संसद में भी समय–समय पर इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाये जाते रहे हैं। केन्द्रीय हिन्दी समिति के दिनांक 6/09/2002 को संमपन्न 26 वी बैठक में भी मद संख्या 33 के अन्तर्गत इस प्रश्न पर विचार–विर्मश किया गया और यह भावना व्यक्त की गयी कि विदेश मंत्रालय इस विषय पर विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करे जो इस संबंध में समग्र रूप से

विचार कर उपयुक्त कार्यवाही का निर्देश दे। तदनुसार विदेश मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया और इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और मंत्रालय के यू0एन0 प्रभाग से जो जानकारी प्राप्त की, वह इस प्रकार है–

1. किसी नई भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 51 में संशोधन की आवश्यकता होती है जिसके लिए महासभा के कुल सदस्यों देशों में से आधे से अधिक का समर्थ जुटाना होगा। संयुक्त राष्ट्र के कुल वजट में भारत का अंशदान बहुत कम यानी 1.85 प्रतिशत है जबकि किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने पर संयुक्त राष्ट्र का नियमित व्यय बढ़ेगा तदनुसार इसके सदस्य राष्ट्रों को भी अपने अंषदान में वृद्धि करनी होगी। अतः अधिकांश सदस्य देश ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करने के प्रति उदासीन रहते हैं।
2. इस प्रस्ताव के आर्थिक पछों पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा। दिसम्बर 1998 के एक अनुमान के अनुसार इस मद पर प्रथम तीन वर्षों के लिए कुल 19.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रारम्भिक व्यय भारत सरकार को वहन करना होगा। संयुक्त राष्ट्र में हमारा कुल नियमित अंषदान 3.86 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष (1998 में) था। जो हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के सम्बन्ध में उस समय अनुमानित व्यय (6.5) मिलियन अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष से काफी अधिक हो जायेगा। इसके अतिरिक्त हाल के अनुमान के अनुसार यह व्यय अब 13 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष खर्च होगा।
3. वर्ष 1973 में पहले की पाँच आधिकारिक भाषाओं– अंग्रजी, फ्रेंच, स्पेनिश , रूसी और चीनी के अलावा एक अन्य छठी भाषा – अरबी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने का संकल्प पारित किया गया था। परन्तु अरबी भाषा की स्थिति हिन्दी से भिन्न थी। संयुक्त राष्ट्र के 19 सदस्य राष्ट्रों की भाषा अरबी थी। उससे भी पहले अरबी भाषा, संयुक्त राष्ट्र के कुछ संगठनों जैसे – यूनेस्को, एफ ए ओ , विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतराट्रीय

श्रम संगठन की कार्यकारी भाषाओं में से एक थी और साथ ही अफ्रीकी एकता संगठन की भी। संयुक्त राष्ट्र में सर्वाधिक अंशदान देने वाले देशों में शामिल जापान और जर्मनी जैसे राष्ट्र भी इन्हीं जटिल प्रक्रियाओं के कारण अपनी–अपनी भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के लिए बहुत उत्साहित नहीं रहे।

4. हम वर्तमान में भारतवंशी बहुल देशों में हिन्दी शिक्षण को एक नीति के रूप में अधिकाधिक समर्थन और साहयता दे रहे हैं। साथ ही विश्व के अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीय हिन्दी सम्मेलनों और विश्व हिन्दी सम्मेलन के द्वारा हिन्दी के प्रसार को प्रोत्साहन देने की नीति अपना रहे हैं। उम्मीद है कि इन प्रयासों में अनेक देशों में हिन्दी का वातावरण अधिक समृद्ध होगा और एक दिन हिन्दी संयुक्त राष्ट्र के कई देशों की भाषा के रूप मे जानी जा सकेगी तथा संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थान बना सकेगी।

इस सम्बन्ध में उल्लेखिनीय है कि सूरीनाम में 6 से 9 जून 2003 को आयोजित सातवे विश्व हिन्दी सम्मेलन में भारत के तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री श्री दिग्विजय सिह ने यह घोषणा की कि भारत सरकार अपनी राष्ट्रभाषा को राजभाषा को संयुक्त राष्ट्र में स्थान दिलाने के लिए 100 करोड़ रूपये खर्च करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी इस प्रस्ताव को लेकर संकल्पवद्ध हैं और इस संबंन्ध में हिन्दी प्रेमियों के मन मे फैली निराशा को दूर करने के लिए सराकार द्वारा गहन प्रयास किए जायेंगे। इस सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय में विदेशमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक 29/07/2003 को हुई जिसमें मंत्रालय की अपर सचित श्रीमती निरूमा राव (जो इस समय विदेश सचिव) हैं ने अन्य बातों के अलावा यह बताया कि इस सवाल पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का समर्थन इस बात पर भी निर्भर होगा कि संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को शामिल करने पर संयुक्त राष्ट्र के सम्पूर्ण वार्षिक आवृति व्यय में प्रत्येक देश का आनुपातिक अंशदान कितना बढ़ जायेगा।

इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर समग्र विचार–विमर्श को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए:–

1. चूंकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिसंख्या मिशनो की साहयता अपेक्षित होगी , इसलिए लगभग 150 लक्ष्य देशों की एक सूची तैयार की जाए। इसमें उन देशों को वरीयता दी जाए जिनसे समर्थन के पर्याप्त आश्वासन की अपेक्षा की जा सकती है। सूची तैयार हो जाने पर अलग–अलग देश से द्विपक्षीय समर्थन मांगने के लिए मिशनों को समुचित अनुदेश भजा जा सकता है।
2. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाए जाने के मुद्दे को द्विपक्षीय वर्ताओं एवं बहुपक्षीय बैठकों (जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा) जैसी सभी उच्चस्तरीय बैठकों में चर्चा के एक विषय के रूप में उठाया जा सकता है।
3. संयुक्त राष्ट्र स्थित हमारे स्थायी मिशन से इस आशय का एक स्पष्ट मूल्यांकन बनाने और भेजने के लिए कहा जा सकता है कि इस प्रस्ताव पर पर्याप्त समर्थन जुटा पाने की वर्तमान में कितनी संभावनाएं है वे, इस संबंध में अपनाई जाने वाली कार्यविधि की एक रूपरेखा भी तैयार करें और यह भी बताएं कि इस कार्य पर भारत को तथा अन्य सदस्य राष्ट्रों को संभावित रूप से कितनी राशि एकमुश्त खर्च करनी पड़ सकती है और कितनी राशि आवर्ती रूप से।
4. विश्व में बसे अनिवासी भारतीय समुदाय और भारतीय मूल के व्यक्तियों को इस बात के लिए एकजुट किया जा सकता है कि भारत के इस अनुरोध का समर्थन करने के लिए वे अपने–अपने देश की सरकारों में सकारात्मक माहौल बनाएं।
5. कुछ देशों को चुनकर वहां स्थित मिशनों को कहा जा सकता है कि मीडिया का उपयोग करके निर्दिष्ट लेखों, अभिमत–संपादकीय आदि के माध्यम से हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा कराने की दिशा में सुदृढ़ जमीन तैयार करें।

6. संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को शामिल किए जाने के संबंध में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने में लिए मंत्रालय एक पक्ष प्रस्तुतीकरण दस्तावेज तैयार करें। इसमें हिन्दी की सापेक्ष महत्ता और प्रसार–शक्ति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इसे एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है और लक्ष्य देशों में स्थित हमारे मिशनों एवं निवासी भारतीय संगठनाों में पारिचालित किया जा सकता है। यह पुस्तिका संवाददातओं की ब्रीफिंग के लिए भी उपयोगी हो सकती है।

चूंकि आठवे विश्व हिन्दी सम्मेलन उद्घाटन सत्र में 13 जुलाई 2007 को भारत सरकार के प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने अपने वीडियो संदेश में इस बात पर विशेष बल दिया था कि सातवे विश्व हिन्दी सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में एक यह भी था कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा बनाई जाये। हम उस दिशां में भी कार्य कर रहे हैं और इस सम्मेलन में भी पारित प्रस्तावों पर तेजी से कारवाई की जायेगी, अतः भारत सरकार के लिए यह आवश्यक है कि इस दिशां में तत्परतापूर्वक सक्रिय कारवाई शुरू करे। इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि भारत में इस सवाल पर भारत में जनमत तैयार किया जाये जो सरकार तथा विभिन्न राजनैतिक दलों को इस बात के लिए मजबूर करे कि वे संसद में तथा अन्यत्र इस मुद्दे पर सकारात्मक तथा प्रभावी निर्णय लें जिससे हिन्दी शीघ्र संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बन सकें।

इस राजनीतिक पहल के बाद भारत सरकार द्वारा नये सिरे से राजनयीक पहल अपेक्षित होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की कार्यनियमवाली में संशोधन के लिए इसके वर्तमान 192 में आधे से भी अधिक सदस्य देशों, यानी 96 से अधिक सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त करना होगा। भारत के विदेश स्थित दूतावासों को निर्देश दिया जाये कि वे जिन देशों में कार्यरत हैं उनका समर्थन प्राप्त करें तथा भारत स्थित विदेशी दूतावासों से यह अनुरोध किया जाये कि उनका देश इस प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव का समर्थन करें।

विदेश मेंत्रालय इसके लिए एक तथ्यपरक अनुसमर्थन दस्तावेज तैयार कराकर सभी विदेश मिश्नों को तथा देश विदेश स्थित मीडिया संगठनों को भेजे ताकि उन्हें यह विश्वास हो सके कि विश्व में चीनी भाषा के बाद संसार की सबसे बड़ी दूसरी भाषा हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाया जाना न सिर्फ आवश्यक बल्कि अनीवार्य भी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत स्थित स्थाई मिशन में एक उच्चस्तरीय एकक गठित किया जाये जो विभिन्न देशों से इसके लिए समर्थन प्राप्त करे उस एकक में हिन्दी से संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषों में तथा उन भाषों से हिन्दी में अनुवाद एवं इन्टरप्रटेशन के लिए सुयोग्य एवं दक्ष अनुवादक तथा दुभाषिए नियुक्त किए जायें और ऐसे अनुवादकों तथा दुभाषिओं के लिए भारत में विषेश प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

इसके आर्थिक पक्ष यानी तीन वर्षों के लिए प्रारम्भिक व्यय तथा वाद के आवर्ती खर्च, अनुवादकों एवं दुभाषिए के वेतन तथा संयुक्त राष्ट्र भवन में संराचनात्मक परिवर्तन, जैसे कि एक नया इन्टरप्रटेशन बूथ बनवाने के लिए, खर्च का आकलन किया जाये। और इसके लिए आगामी वर्ष से भारत सरकार के वजट में क्रमिक रूप से समुचित प्रावधान किया जाये।

इस संबंध में एक प्रभावी रणनीति यह होगी कि संसार भर में रहने वाले अनिवासी भारतीयों और भारतवंशियों से सम्पर्क कर उनसे अनुरोध किया जाये कि वे अपने–अपने देशों की सरकारो पर प्रभाव डालें ताकि वें संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए अपने देश का समर्थन प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि विभिन्न देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीय अब राजनीतिक दृष्टि से महत्त्पूर्ण और आर्थिक दृष्टि से इतने सश्क्त हो गये हैं कि जिन देशों वे रहते हैं वहां के राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनकी बातों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। मारीशस , गयाना, सूरीनाम, फीजी ,त्रिनिदाद , दक्षिण अफ्रीका, आदि देशों मे तो भारतवंशी सत्ता के शिखर पर रहते हैं अथवा विरोधी पक्ष के नेता होते हैं। अतः इन देशों से समर्थन प्राप्त करना

कठिन नहीं होगा। इसके अलावा शार्क के देश भी इस सवाल पर समर्थन देने से इन्कार नहीं करेंगे।

भारत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का नेता रहा है। अतः इस समूह के सदस्य से भी आसानी से समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य भी भारी बहुमत से चुना गया है। अतः अब हम सुरक्षा परिषद के सदस्यों से निकट संम्पर्क स्थापित कर हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए उनका सबल एवं सम्पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सकते हैं।

भारत ने कुछ वर्षों से सुरक्षा परिषद में अपनी स्थाई सदस्यता के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है जिसका अधिकांश देश समर्थन कर रहे हैं। यह अत्यंत उचित अवसर है कि भारत सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी के साथ–साथ हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव विश्व के विभिन्न देशों के समक्ष रखे ताकि हमें दोनों लाभ एक साथ मिल जाये। लेकिन यदि किन्ही कारणों से स्थायी सदस्यता मिलने में विलम्ब होता है तो संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाए जाने में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में संयुक्त राज्य अमरीका के सैनफ्रासिस्को शहर में हुआ था जिसके घोषण पत्र पर 26 जून 1945 को 51 सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर अंग्रेजी, फ्रंच ,स्पेनिस, रूसी, और चीनी भाषाओं को इस संगठन की आधिकारिक भाषा बनाया तथा सिर्फ अंग्रेजी और फ्रंच कार्य संचालन की भाषा बनाई गयी बाद में रूसी और स्पैनिस को भी कार्य संचालन की भाषा बनने का सौभाग्य मिला और 18 दिसम्बर 1973 को यह निर्णय लिया गया कि (क) चीनी भाषा को भी कार्य संचालन की भाषा के रूप में शामिल किया जाये (ख) अरबी भाषा को महासभा तथा इसकी मुख्य समितियों की आधिकारिक एवं कार्य संचालन की भाषा बनायी जाये। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या वर्ष 2010 में 51 से बढ़कर 192 हो गयी है। अतः चीनी के बाद संसार की सबसे बड़ी भाषा हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए

संसार भर में एक व्यापक आन्दोल और अभियान शुरू किया जाये जिसके बोद्धिक दायित्व विश्व हिन्दी सचिवालय, मारीशस को सौंपा जाये तथा राजनैतिक एवं राजनयिक दायित्व स्वतः भारत सरकार ले। इसके लिए भारत सरकार अनिवासी भारतीयों , भारतवंशियों , भारत के पड़ोसी देशों तथा गुटनिरपेक्ष देशों से सहयोग प्राप्त कर सकता है।

भारत अब राजनैतिक, नाभिकीय एवं आर्थिक दृष्टि से विश्व का एक सम्मानित एवं सशक्त राष्ट्र बन गया है वह संसार के विकसित और शक्तिशाली देशों से भी इस मद्दे पर समर्थन आसानी से प्राप्त कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यापक सुधार लाने के लिए विगत अनेक वर्षों से कार्य चल रहा है। हमें विश्वास है कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर हिन्दी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने का न्यायोचित अधिकार मिलेगा, इसके लिए भारत में तथा विदेशों में भी नये सिरे से एक सशक्त एवं व्यापक अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। हिन्दी बिना किसी विषेश प्रयास के ही भारतवंशियो की सम्पर्क भाषा बन गई है और विश्व भाषा बनने की दिशां मे तेजी से अग्रसर हो रही है अतः विश्व का सबसे बड़ा संगठन –संयुक्त राष्ट्र संघ इसे समुचित स्थान देगा, ऐसी हमारी आशा है और आकंक्षा भी।

पताः–

नारायण कुमार

ए–154, सैक्टर–46

नोएडा 201303

उत्तर प्रदेश (भारत)